आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0:- R.M.A. Case No. 02/2017-18

रफीक मियाँ बनाम मो0 यासीन अंसारी एवं 16-आना रैयत मौजा-हीरापुर

आदेश

06.02.2021

यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद P.A. Case No. 27/2006-07 में मो0 यासीन अंसारी बनाम 16 आना रैयत मौजा-हीरापुर में दिनांक-11.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No. 27/2006-07 में उनके द्वारा दिनांक-14.03.2007 को पारित आदेश जिसमें मो0 यासीन अंसारी, पिता स्व0 गफुर मियाँ सा0- हीरापुर, थाना एवं जिला-जामताड़ा को स0प0का0 अधिनियम 1949 की धारा-05 के अंतर्गत मौजा हीरापुर के प्रधान के पद पर नियुक्ति की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध रफीक मियाँ द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में R.M.A. Case No. 37/2008-09 के रूप में अपील दायर किया गया, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त अपील वाद में दिनांक-22.05.2008 को पारित आदेश के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को उनके न्यायालय के P.A. Case No. 27/2006-07 में दिनांक-14.03.2007 को पारित आदेश पर पुनर्विचार हेतु Remand किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पारित आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 30.01.2009 से उक्त वाद P.A. Case No. 27/2006-07 का पुनर्विचार प्रारंभ कर दिनांक 11.11.2016 को निष्पादित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-05 के अंतर्गत यासीन अंसारी को प्रधान के पद पर यथावत रखा गया। जिसके विरूद्ध पुनः अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील वाद R.M.A. Case No. 02/2017-18 के रूप में प्राप्त है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि मौजा के अंतिम पूर्व प्रधान की मृत्यु के पश्चात 20 वर्षो तक वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मौजा खास हो गया। मौजा खास हो जाने के कारण तत्कालीन विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-06 के अंतर्गत वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन को खारिज कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-05 के अंतर्गत चुनाव के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्त्तमान ग्राम प्रधान यासीन मियाँ के नियुक्ति उनके न्यायालय के माध्यम से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-05 के अंतर्गत ग्राम रैयतों के बीच चुनाव के माध्यम से बहुमत के आधार पर किया गया है। कुल 132 ग्रामीण रैयतों में से 109 रैयतों का समर्थन वर्त्तमान ग्राम प्रधान यासीन मियाँ को प्राप्त है जो आवश्यक 2/3 भाग हेतु आवश्यक मत 88 से अधिक है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद P.A. Case No. 27/2006-07 में मो0 यासीन अंसारी बनाम 16 आना रैयत मौजा-हीरापुर में दिनांक-11.11.2016 को पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद P.A. Case No. 27/2006-07 में मो0 यासीन अंसारी बनाम 16 आना रैयत मौजा-हीरापुर में दिनांक-11.11.2016 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2021.12.18 12:13:17 +05:30
Location: 192.168.43.106

Scanned with CamScanner